

मध्यप्रदेश राज्य में गति नियंत्रक उपकरण (एस0एल0डी0) के अनुमोदन हेतु
परिवहन आयुक्त को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप

1. गति नियंत्रक उपकरण विनिर्माता कंपनी का नाम—
2. गति नियंत्रक उपकरण विनिर्माता कंपनी का पता—
3. गति नियंत्रक उपकरण विनिर्माता कंपनी का ईमेल एड्रेस—
4. गति नियंत्रक उपकरण विनिर्माता कंपनी का फोन नम्बर—
5. कंपनी द्वारा अधिकृत आवेदक का नाम—
6. कंपनी द्वारा अधिकृत आवेदक का पता—
7. कंपनी द्वारा अधिकृत आवेदक का ईमेल एड्रेस—
8. कंपनी द्वारा अधिकृत आवेदक का फोन नम्बर—
9. गति नियंत्रक उपकरण का टाईप एप्रुवल करने वाली संस्था का नाम—
10. टाईप एप्रुवल सर्टिफिकेट क्रमांक—
11. टाईप एप्रुवल सर्टिफिकेट की वैद्यता दिनांक—
12. COP सर्टिफिकेट की वैद्यता दिनांक—
13. वाहन वेरियंट संख्या जिनके लिए टेस्ट सर्टिफिकेट जारी किये गये हैं—
14. फीस रुपये.....ऑनलाईन फीस रसीद क्रमांक.....दिनांक.....
15. आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज—
 - आर्टिकलस तथा मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन/ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन/ पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रति।
 - मध्यप्रदेश राज्य में जी.एस.टी. पंजियन की प्रमाणित प्रति।
 - अधिकृत आवेदक को जारी प्राधिकार पत्र जिस पर आवेदक का फोटो, आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक का PAN नम्बर व आधार नम्बर होना अनिवार्य हैं।
 - टाईप एप्रुवल सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति।
 - COP सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति।
 - टाईप एप्रुव्ड गति नियंत्रक उपकरणों की सूची मय टेस्ट रिपोर्ट नम्बर एवं वाहन वेरिएंट (हार्डकॉपी तथा Excel Format में साफ्टकॉपी)।
 - ऑनलाईन फीस की रसीद।
 - संलग्न प्रारूप पर शपथ-पत्र
16. मैं यह सत्य निष्ठापूर्वक घोषित करता हूँ कि आवेदन दी गई जानकारी सही और ठीक हैं, मेरे द्वारा कोई भी तथ्य नहीं छुपाया गया है तथा आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज पूर्ण रूप से सत्य है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि मैं मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 22-06/2018/आठ भोपाल दिनांक 30 जनवरी 2018 में विहित शर्तों से आबद्ध रहूँगा।

दिनांक—
स्थान—

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम)

2. गति नियंत्रक उपकरण विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का प्रारूप

1. आवेदन के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेज सत्य हैं।
2. निर्मित गति नियंत्रक उपकरण के संबंध में पेटेंट एक्ट/कॉपी राईट एक्ट/ ट्रेड मार्क एक्ट के उल्लंघन के लिए ना तो वह दोषी सिद्ध किया गया है ना ही उस पर इस विषय में कोई मुकदमा दर्ज है ना ही कोई जॉच लंबित हैं।
3. परिवहन विभाग से व्यवसाय प्रमाण प्राप्त होने उपरांत केवल मेरे अधिकृत डीलरो द्वारा ही मध्यप्रदेश राज्य में वाहनो पर गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने का कार्य किया जायेगा।
4. मेरे तथा मेरे अधिकृत डीलर द्वारा मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 22-06/2018/आठ भोपाल दिनांक 30 जनवरी 2018 के बिंदु क्रमांक-8 से 13 का अनिवार्य रूप से पालन किया जायेगा।
5. मेरे तथा मेरे अधिकृत डीलर द्वारा ऑनलाईन जनरेटेड फिटमेंट सर्टिफिकेट में मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 22-06/2018/आठ भोपाल दिनांक 30 जनवरी 2018 के बिंदु क्रमांक-14 में उल्लेखित संपूर्ण जानकारी क्रमानुसार निहित होगी।
6. ऑनलाईन जनरेटेड फिटमेंट सर्टिफिकेट पर अंकित क्यू.आर. कोड में मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 22-06/2018/आठ भोपाल दिनांक 30 जनवरी 2018 के बिंदु क्रमांक-15 में उल्लेखित संपूर्ण जानकारी क्रमानुसार निहित होगी।
7. मेरे द्वारा भोपाल में, मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 22-06/2018/आठ भोपाल दिनांक 30 जनवरी 2018 के बिंदु क्रमांक-16 में उल्लेखित सॉफ्टवेयर की विशेषताओ के साथ डाटा सेंटर स्थापित किया जायेगा।
8. मेरे या मेरे अधिकृत डीलर द्वारा गति नियंत्रक उपकरण फिटमेंट सर्टिफिकेट के साथ वाहन मॉडल(वेरिएंट) का टाइप एप्रुवल सर्टिफिकेट सील के साथ हस्ताक्षर कर प्रमाणित करने उपरांत ही जारी किया जायेगा।
9. मेरे द्वारा मध्यप्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयो पर कंपनी द्वारा संचालित सर्विस सेंटर स्थापित किये जायेगे।
10. मेरे द्वारा केवल उन्ही गति नियंत्रक उपकरणो का रिकेलीब्रेशन/रिपेयर किया जाएगा जो मेरे द्वारा निर्मित किये गये हैं तथा प्रत्येक रिकेलीब्रेशन/रिपेयर की जानकारी मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के पोर्टल MPTRANSPORT. ORG पर तत्काल अपलोड करूंगा।
11. यदि मेरे द्वारा कोई गलत, दूषित या तथ्यो को छुपाकर कोई जानकारी प्रस्तुत की जाती है तो परिवहन आयुक्त को जारी मॉडल एप्रुवल सर्टिफिकेट निलंबित या रद्द करने का अधिकार होगा।

